कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– ..13.../2019–20

श्री बिकास यादव,
पिता– बासुदेव यादव
साकिन– इंदरवा बस्ती, झु0ति0

05.02.2020 अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 1554/रा0 दिनांक 11.11.2019 द्वारा श्री विनय यादव, पिता– स्व0 मेघलाल यादव, साकिन– असना इंदरवा, वार्ड नं0– 05, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा का आवेदन पर जाँचोपरांत कार्रवाई करने का निदेश प्राप्त हुआ है। साथ ही आवेदक, श्री बिकास यादव, पिता– बासुदेव यादव, साकिन– असना इंदरवा के द्वारा आवेदन के माध्यम से बताया गया है कि उनकी रैयती भूमि की जमाबंदी मौजा– असना, थाना नं0– 245 के पंजी– II के पृष्ठ सं0– 106/6 पर उनके दादा मेघलाल यादव, पिता– अकल यादव के नाम से कायम थी। उक्त जमाबंदी पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण ऑनलाइन पंजी– II में उसकी प्रविष्टि नहीं हो पायी है। आवेदक, श्री बिकास यादव के द्वारा ऑनलाइन पंजी– II में उक्त जमाबंदी की प्रविष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव, उक्त निदेश एवं प्राप्त आवेदन के आलोक में आवेदक/दावेदार को नोटिस निर्गत कर उक्त भूमि से संबंधित मूल राजस्व कागजात एवं शपथपत्र की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक ..20../..02../2020 को उपस्थापित करें।

05/02/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

20.02.2020 अभिलेख उपस्थापित।

आम–इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति नहीं की गई है।

आवेदक, बिकास यादव, पिता– बासुदेव यादव उपस्थित हैं। उनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में केवाला सं0– 12948 दिनांक 23.12.1969 तथा वर्ष 2008–09 हेतु निर्गत सरकारी लगान रसीद सं0– 843880, दिनांक 21.06.2008 तथा शपथपत्र संख्या– 03 दिनांक 13.01.2020 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तुत राजस्व कागजात का संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से विहित प्रपत्र में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक ..05../..03../2020 को उपस्थापित करें।

20/02/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with Cam

05.03.2020 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

राजस्व दस्तावेजों के जाँचोपरांत राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– असना, थाना नं0– 245 के के पंजी II के पृष्ट सं0– 106/6 पर मेघलाल यादव, पिता– अकल यादव के नाम से खाता सं0– 33 की जमाबंदी दर्ज थी। वर्तमान में पंजी II का उक्त पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण जमाबंदी अस्पष्ट है। भूमि रैयती खाते की है। अमीन मापी के पश्चात जमाबंदी पुनः कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।

अंचल अमीन के द्वारा विषयगत भूमि की मापी के उपरांत विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है, "आवेदक, बिकास यादव, पिता– बासुदेव यादव, सा0– असना द्वारा दिये गए आवेदन के आलोक में मौजा– असना, थाना नं0– 245 के खाता सं0– 33, प्लॉट नं0– 594, रकबा– 0.16 ए0 वो प्लॉट नं0– 702, रकबा– 0.19 ए0 वो प्लॉट नं0– 707, रकबा– 0.06 ए0 वो प्लॉट नं0– 732, रकबा– 0.33 ए0 वो प्लॉट नं0– 595, रकबा– 0.03 ए0 वो प्लॉट नं0– 624, रकबा– 0.37 ए0 वो प्लॉट नं0– 1483, रकबा– 0.11 ए0 वो प्लॉट नं0– 1440, रकबा– 0.72 ए0 एवं प्लॉट नं0– 1193, रकबा– 0.10 ए0; कुल रकबा– 2.07 ए0 भूमि की खरीदगी केवाला सं0– 12948 दिनांक 23.12.1967 द्वारा मेघलाल यादव, पिता– स्व0 अकल यादव के नाम से प्राप्त है। खरीदगी भूमि का वर्तमान में जाँचोपरांत पाया कि खाता सं0– 33 के उपरोक्त वर्णित प्लॉटों का रकबा का एक तिहाई रकबा दस्तावेज सं0– 18171 दिनांक 04.09.1970 द्वारा कमल महतो, पिता– जयराम महतो, साकिन– असना के नाम से प्राप्त है। शेष बचा लेख्यधारी मेघलाल यादव, पिता– स्व0 अकल यादव के वंशजों के दखल में इस प्रकार पाया गया :– प्लॉट नं0– 702, रकबा– 0.1267 ए0 वो प्लॉट नं0– 707, रकबा– 0.04 ए0 वो प्लॉट नं0– 732, रकबा– 0.22 ए0 वो प्लॉट नं0– 595, रकबा– 0.03 ए0 वो प्लॉट नं0– 624, रकबा– 0.2467 ए0 एवं प्लॉट नं0– 1483, रकबा– 0.0734 ए0; कुल रकबा– 0.7368 ए0 भूमि पर वर्तमान में आवेदक के दखल में है तथा प्लॉट नं0– 594, रकबा– 0.16 ए0 आवेदक के दखल में नहीं है और प्लॉट नं0– 1440, रकबा– 0.72 ए0 वो वो प्लॉट नं0– 1193, रकबा– 0.10 ए0 भूमि पूर्व क्रेता द्वारा बिक्री की जा चुकी है। अतः क्रेता, मेघलाल यादव, पिता– अकल यादव के नाम से खाता सं0– 33 में कुल रकबा– 0.7368 ए0 भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी दर्ज की जा सकती है।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया है, "हल्का कर्मचारी और अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार ऑनलाइन में जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।"

अंचल नाजीर के द्वारा अंचल नजारत में उपलब्ध 'लगान रसीद निर्गत भंडार पंजी' से सरकारी लगान रसीद को मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "रसीद सं0 843880 का मिलान, लगान रसीद भण्डार पंजी से किया और सही पाया।"

अभिलेख दिनांक 20/03/2020 को उपस्थापित करें।

05/03/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with Cam

20.03.2020 अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से उक्त के आलोक में मंतव्य प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक 04/04/2020 को उपस्थापित करें।

20/03/2020

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

04.04.2020 अभिलेख उपस्थापित।

28.12.2020 संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से मंतव्य प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, ''अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।''

अभिलेख दिनांक 12/01/2021 को उपस्थापित करें।

28/12/2020

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

12.01.2021 अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक, श्री विकास यादव, पिता– बासुदेव यादव के द्वारा प्रस्तुत किये गये राजस्व दस्तावेज एवं हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा– असना, थाना नं0– 245 के पंजी II के पृष्ठ सं0– 106 वॉल्यूम VI पर खाता सं0– 33, प्लॉट नं0–702, 707 वगैरह, बिक्री के उपरांत कुल शेष रकबा–0.7368 ए0 भूमि की जमावंदी मेघलाल यादव, पिता– स्व0 अकल यादव के नाम चल रही थी। पंजी II का उक्त जमावंदी पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो चुका है। आवेदित भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि जमावंदीदार/उनके वंशजों का दखल में है।

अतः आवेदक/दावेदार द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा– असना, थाना नं0– 245 के ऑनलाइन पंजी II में खाता सं0– 33, प्लॉट नं0– 702, रकबा– 0.1267 ए0 वो प्लॉट नं0– 707, रकबा– 0.04 ए0 वो प्लॉट नं0– 732, रकबा– 0.22 ए0 वो प्लॉट नं0– 595, रकबा– 0.03 ए0 वो प्लॉट नं0– 624, रकबा– 0.2467 ए0 एवं वो प्लॉट नं0– 1483, रकबा– 0.0734 ए0; कुल रकबा– 0.7368 ए0 भूमि माल– 4.00 रू0 अलावे सेस, भूमि की जमावंदी पूर्व से कायम जमावंदीधारक यथा मेघलाल यादव, पिता– अकल यादव, साकिन– असना, इन्दरवा वस्ती, थाना– तिलैया, पोस्ट– झुमरी तिलैया, जिला– कोडरमा के नाम से कायम करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

Scanned with Cam

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो, तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अभिलेख में कार्रवाई ......बंद...... की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

12/01/2021
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

12/01/2021
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with Cam